डीजी परिपत्र संख्या-20/2026
यक्ष परिपत्र संख्या- 11/2026

राजीव कृष्णा,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

दिनांक- अप्रैल 02, 2026

प्राथमिकता – 1
Zero Tolerance against Crime and Criminals

प्रिय महोदया/ महोदय,

आप अवगत है कि यक्ष ऐप के क्रियान्वयन एवं निर्देशों के अनुपालन में आप सभी के द्वारा कार्यवाही कराये जाने के परिणामस्वरूप अपराध के अनावरण/नियंत्रण एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही में सहायता मिलने लगी है।

यक्ष ऐप में बैकएण्ड से लगभग 12 लाख अपराधियों का विवरण अपलोड किया गया है एवं डीजी परिपत्र संख्या 16/2026 **(यक्ष परिपत्र संख्या 09/2026)** में वर्णित **21 श्रेणियों** के अन्तर्गत थानों पर गिरफ्तार होने वाले अपराधियों की **Criminal ID आपके थानों** द्वारा बनायी जा रही है।

यक्ष ऐप के डाटाबेस में उपलब्ध कतिपय अपराधियों की नामजदगी विवेचना के दौरान गलत पायी गयी हो या कुछ अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के उपरान्त दोषमुक्त कर दिया गया हो। ऐसे अपराधियों के निगरानी/सत्यापन के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाना आवश्यक है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति की निजता/गरिमा का उल्लघंन न हो।

निम्नलिखित परिस्थितियों में यक्ष ऐप में फीड किये गये अपराधियों का निगरानी/सत्यापन स्थगित/बन्द किया जायेगा-

1- **अपराधी की मृत्यु की दशा में निगरानी/सत्यापन बन्द करने की कार्यवाही-** अपराधी सत्यापन के समय बीट कर्मी को किसी अपराधी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो बीट कर्मी, चौकी/हल्का इंचार्ज अपराधी की मृत्यु से सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेज अथवा ठोस प्रमाण प्राप्त करते हुये थाना प्रभारी को अवगत/उपलब्ध करायेंगे। थाना प्रभारी का दायित्व होगा कि इस सम्बन्ध में समस्त अभिलेखों का परिशीलन करते हुये अपराधी की निगरानी/सत्यापन को बन्द करने सम्बन्ध में डैशबोर्ड/ऐप में कार्यवाही करेंगे।

2- **विवेचना में नामजदगी गलत होने (यदि उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास न हो) की स्थिति में-** अपराधी सत्यापन के समय बीट कर्मी को किसी अपराधी की विवेचना में नामजदगी गलत होने की सूचना प्राप्त होती है या विवेचक स्वंय अपराधी की विवेचना में नामजदगी

गलत पाया जाता है तो इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी को अवगत करायेंगे। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी द्वारा उस व्यक्ति की पूर्व आपराधिक गतिविधियों एवं आम शौहरत के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपनी स्पष्ट संस्तुति एवं टिप्पणी के साथ अपराधी की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुये डैशबोर्ड/ऐप में कार्यवाही करेंगे।

3- **माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त (यदि उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास न हो) करने की स्थिति में**- यक्ष ऐप के डाटाबेस में उपलब्ध अपराधियों में से यदि किसी अपराधी के दोषमुक्त होने की सूचना थाना प्रभारी को प्राप्त होती है तो थाने के अभिलेखों को Update (**इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक को ओर से पत्र जारी किया जा चुका है जोकि संलग्न है**) करने के साथ ही यक्ष ऐप में अपलोड करने की कार्यवाही की जायेगी। तदोपरान्त थाना प्रभारी उस अपराधी की पूर्व आपराधिक गतिविधियों एवं आम शौहरत के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपनी स्पष्ट संस्तुति एवं टिप्पणी के साथ अपराधी की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुये डैशबोर्ड/ऐप में कार्यवाही करेंगे।

4- **अन्य कोई विशेष परिस्थिति, जो सक्षम अधिकारी (जोन के प्रभारी अधिकारी) को उपयुक्त प्रतीत हो।**

उपरोक्त परिस्थितियों में अपराधियों की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने के सम्बन्ध निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी

डैशबोर्ड में की जाने वाली कार्यवाही

- जिस अपराधी की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करना है उस अपराधी के नाम पर Click करके उसकी प्रोफाइन खोलेंगे, उसके पश्चात प्रोफाइल में नीचे आने पर User Log Option के नीचे **Procedure of Closure** का Option प्रदर्शित होगा।

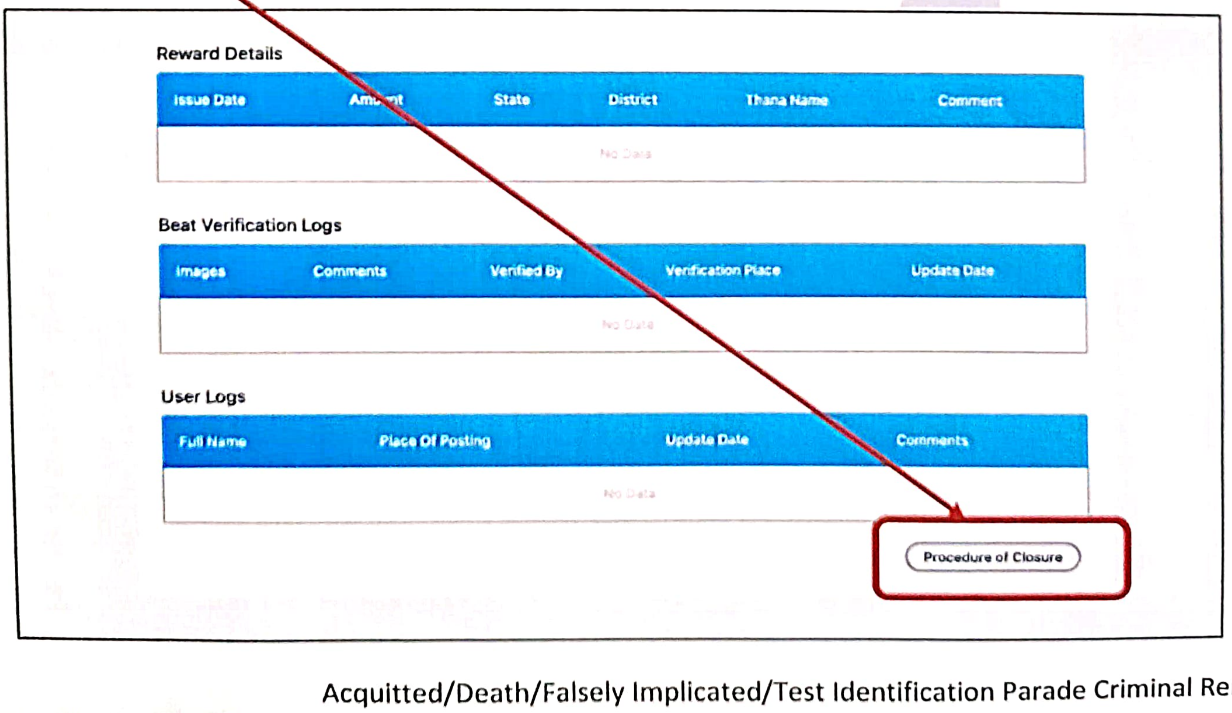

➢ उक्त के पश्चात **Procedure of Closure** Option पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

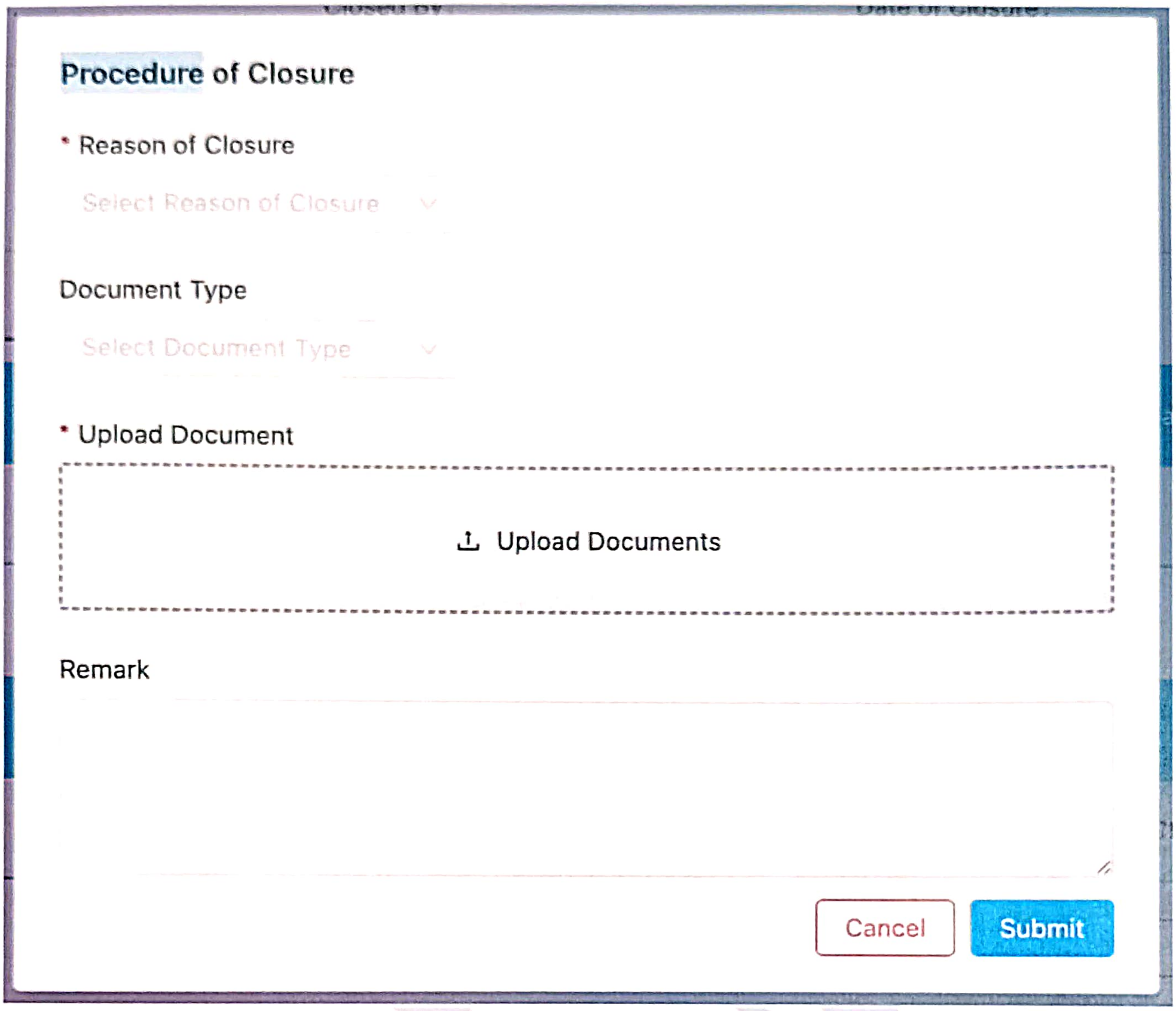

➢ उसके पश्चात **Reason of Closure** Option पर Click करने पर जिस कारण से अभियुक्त की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करना है उस कारण Acquitted/ Death/Falsely Implicated/ Others (दोषमुक्त/मृत्यु/झूठे आरोप में फंसाया जाना/अन्य) का चयन करना होगा-

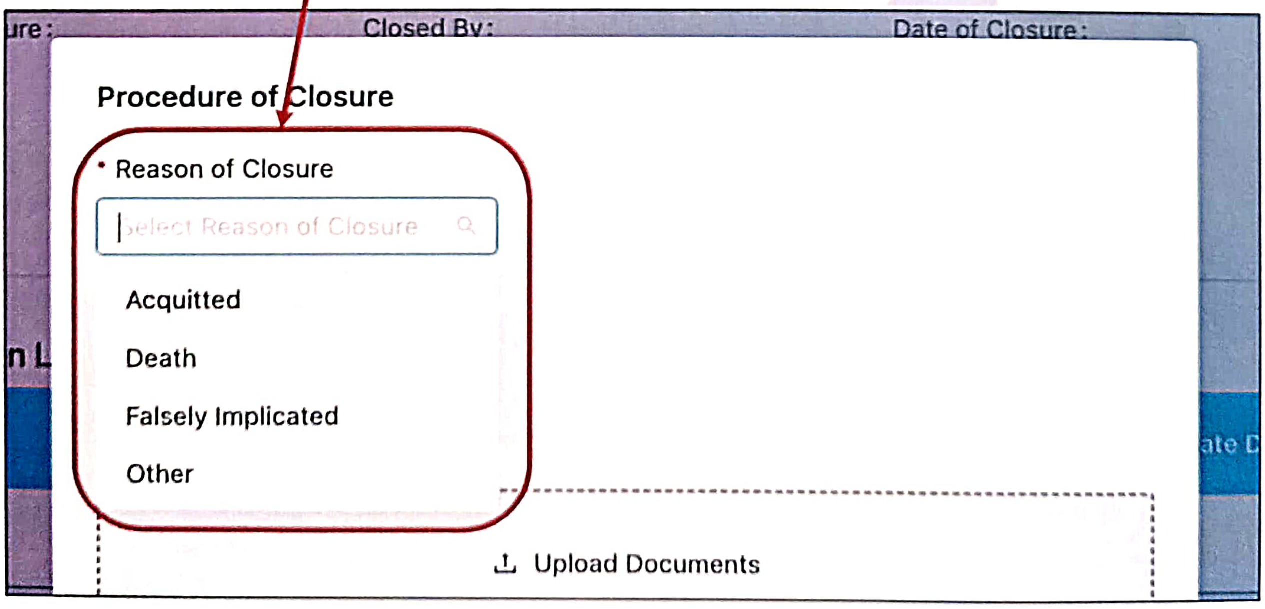

➢ उक्त के पश्चात अभियुक्त की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने के कारण से सम्बन्धित <u>दस्तावेज</u> का चयन करते हुये उस <u>दस्तावेज को अपलोड</u> करना होगा।

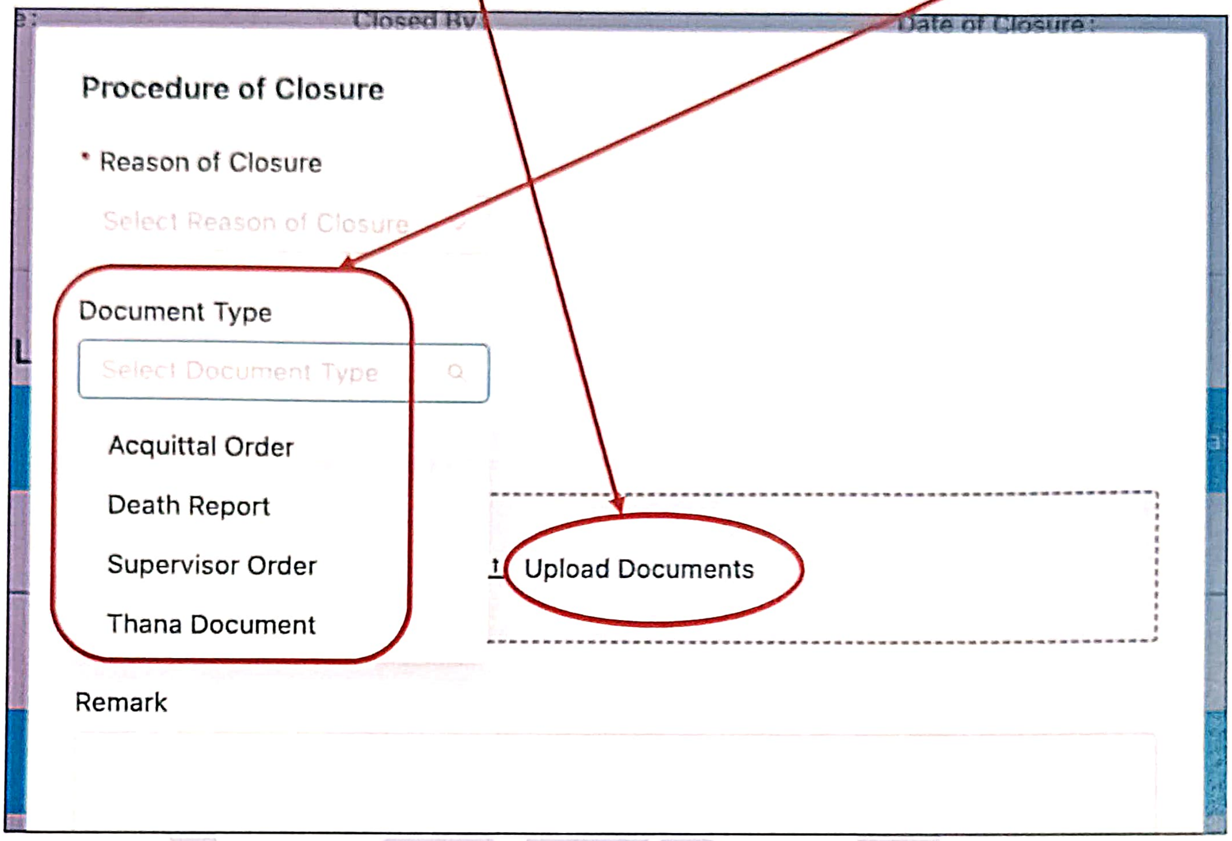

➢ उसके पश्चात **<u>Remark</u>** में अभियुक्त की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने के सम्बन्ध में थाना प्रभारी द्वारा अपनी टिप्पणी को दर्ज करते हुये **<u>Submit</u>** बटन पर Click करने पर अभियुक्त की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी।

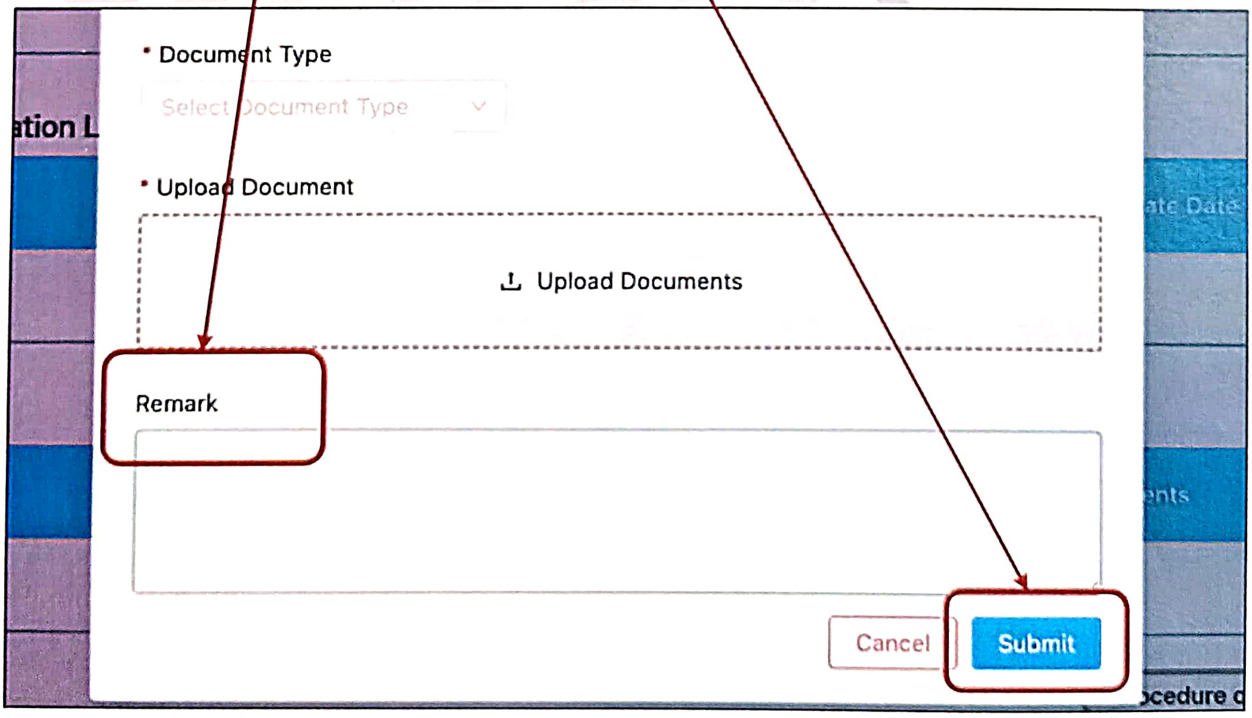

➢ जिन अभियुक्तों की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द किया जा चुका है उनके रिकार्ड को देखने के लिये **Criminal Record of My Jurisdiction** में **Based on FIR Thana** Option के अन्दर **Closed Criminal** के Option पर Click करने पर अभियुक्तों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी।

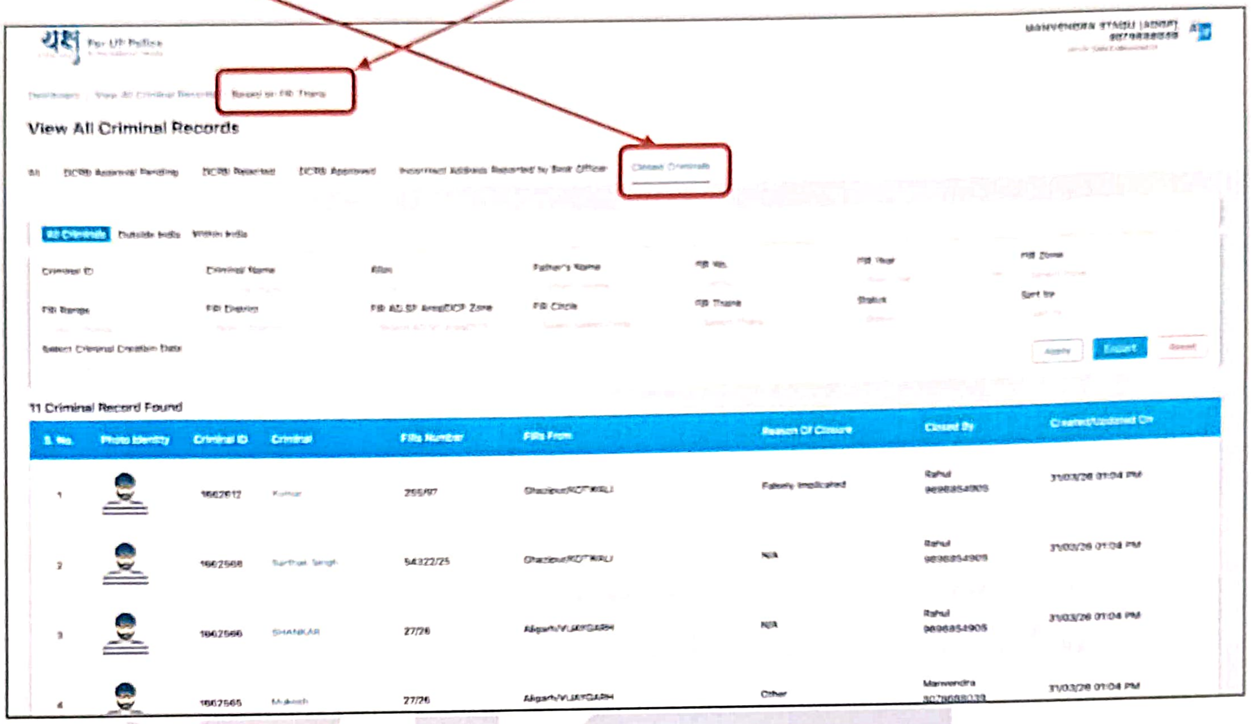

ऐप में की जाने वाली कार्यवाही

➢ जिस अपराधी की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करना है उस अपराधी के नाम पर Click करके उसकी प्रोफाइन खोलेंगे, उसके पश्चात स्क्रीन पर दाहिनी तरफ प्रदर्शित हो रही **Three Horizontal Lines** पर Click करेंगे। स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

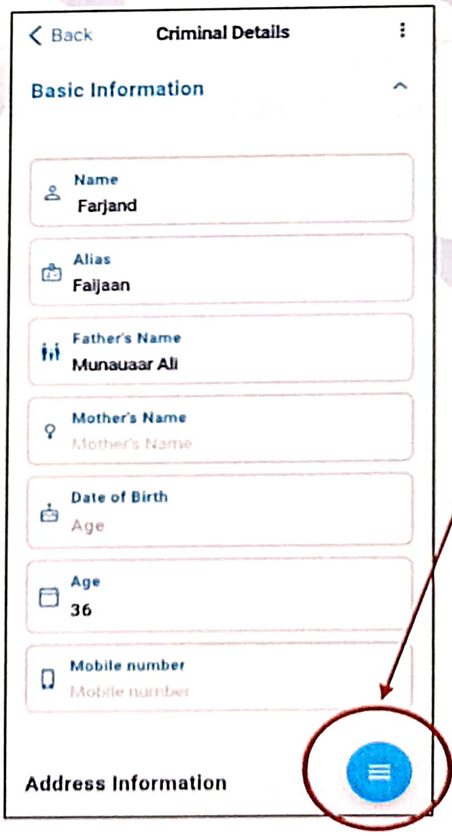

➢ Three Horizontal Lines पर Click करने पर Procedure of Closure का Option प्रदर्शित होगा, स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

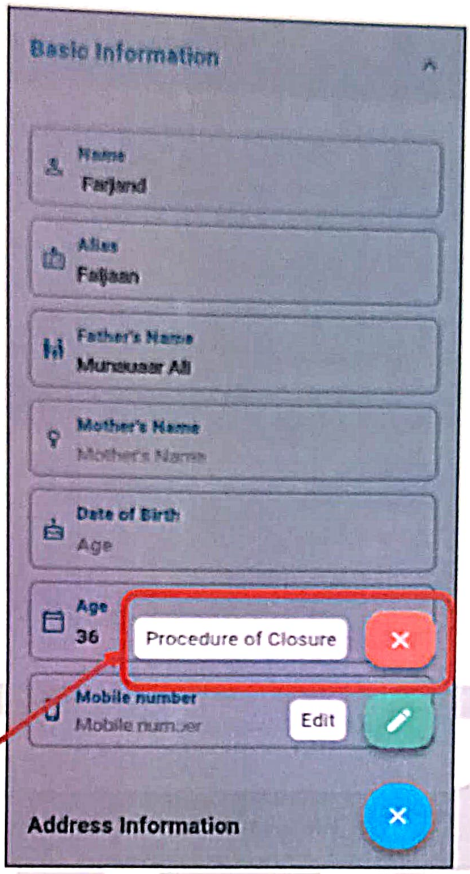

➢ **<u>Procedure of Closure</u>** के Option पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

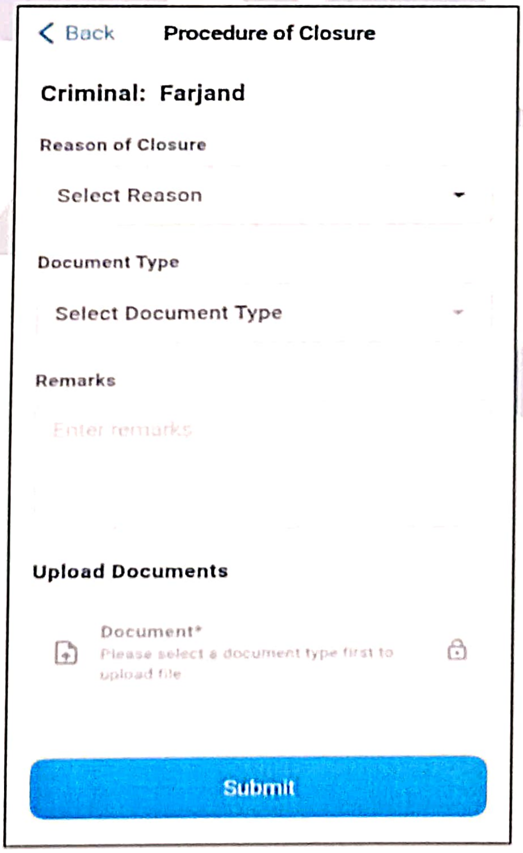

➢ उसके पश्चात Reason of Closure Option पर Click करने पर जिस कारण से अभियुक्त की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करना है उस कारण Acquitted/ Death/Falsely Implicated/ Others (दोषमुक्त/मृत्यु/झूठे आरोप में फंसाया जाना/अन्य) का चयन होगा-

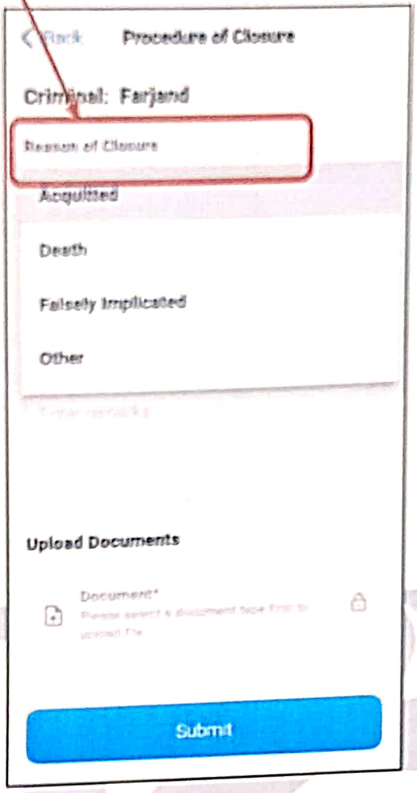

➢ उसके पश्चात उक्त के पश्चात अभियुक्त की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने के कारण से सम्बन्धित दस्तावेज का चयन करते हुये उस दस्तावेज को अपलोड करना होगा।

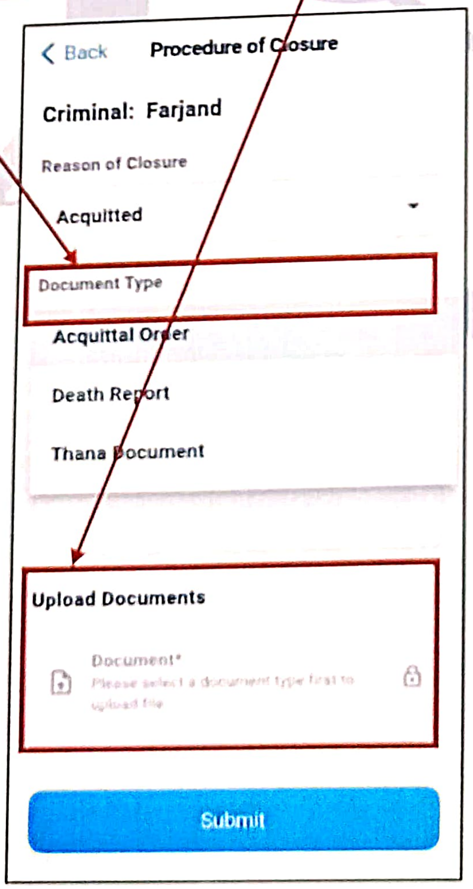

- उसके पश्चात **Remark** में अभियुक्त की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने के सम्बन्ध में थाना प्रभारी द्वारा अपनी टिप्पणी को दर्ज करते हुये **Submit** बटन पर Click करने पर अभियुक्त की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द करने की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी।

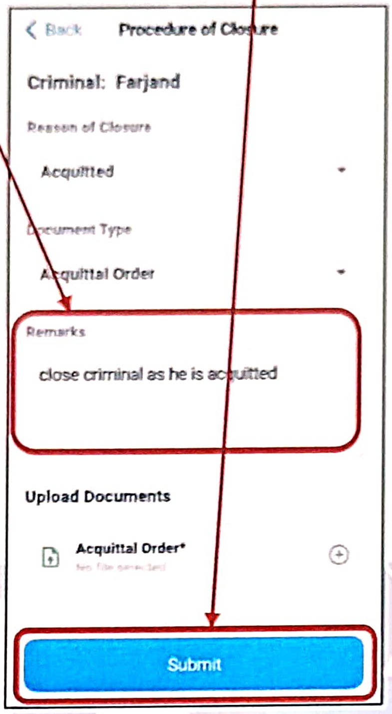

- जिन अभियुक्तों की निगरानी/सत्यापन को स्थगित/बन्द किया जा चुका है उनके रिकार्ड को देखने के लिये **My Jurisdiction Record** में **Record by FIR Thana** Option के अन्दर **Closed Criminal** के Option पर Click करने पर अभियुक्तों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी। जिस अभियुक्त के सम्बन्ध विवरण देखना हो, उस पर Click करके विवरण देख सकते है।

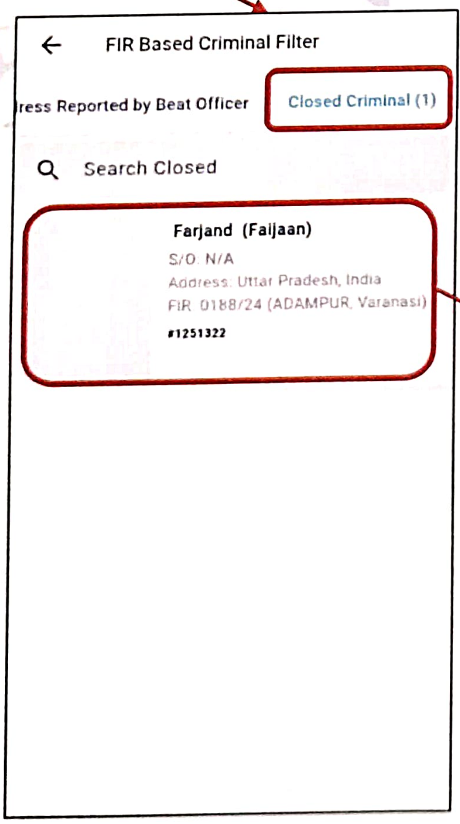

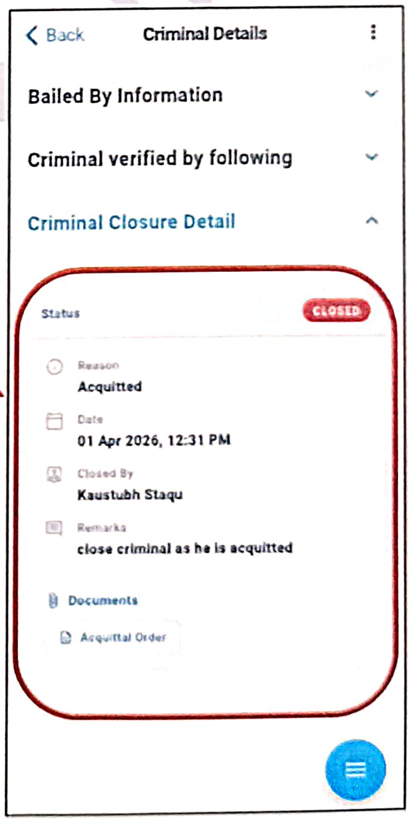

Note- उक्त के अतिरिक्त विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कतिपय मामलों में अपराधी के शिनाख्त की कार्यवाही के पूर्व उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाना बाध्यकारी है। ऐसी स्थिति में अपराधी की जानकारियाँ जो यक्ष ऐप में Criminal ID Create किये जाने हेतु आवश्यक हो, को एक सुरक्षित फोल्डर में तैयार कर लिया जाये। अपराधी के शिनाख्त (Test Identification Parade) की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही यक्ष ऐप मे उस अपराधी की Criminal ID Create की जाये।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के समन्वित प्रयासों से यक्ष ऐप को एक प्रभावी एवं सुदृढ़ बीट पुलिसिंग Tool के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

भवदीय,

२५.

(संजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जनपद प्रभारी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक STF, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

YAKSH